भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1105
उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025
21 माघ, 1946 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना को बढ़ावा देना

1105. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में इस उद्देश्य के लिए किए गए बजटीय आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, देश भर में खेल अवसंरचना के विकास सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों और हरियाणा सहित देश भर में विभिन्न खेल अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसका विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) और (ग): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में खेलों के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है:

(i) खेलो इंडिया- राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

चालू वित्त वर्ष में खेल विभाग की विभिन्न खेल स्कीमों के अंतर्गत आवंटित धनराशि और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	स्कीम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1.	खेलो इंडिया	900.00	800.00
2.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता	340.00	340.00
3.	विशेष नकद पुरस्कार	35.00	38.65
4.	मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन	4.00	4.00
5.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	18.00	18.00
6.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष	2.00	2.00
7.	भारतीय खेल प्राधिकरण	822.60	815.00

इसके अतिरिक्त, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के एथलीटों को विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके खेलों को करिअर के रूप में अपनाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है:

I. खेलो इंडिया स्कीम के "खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां" घटक के अंतर्गत पहचानी गई प्रतिभाओं को मान्यताप्राप्त खेलो इंडिया अकादमियों में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है और प्रशिक्षण व्यय, कोचिंग, प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन, शिक्षा, उपकरण सहायता, वैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वित्तीय सहायता [आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस (ओपीए)) के रूप में 1.20 लाख रुपये सहित] भी प्रदान की जाती है। साथ ही, खेलो इंडिया स्कीम के खेलो इंडिया केंद्र घटक के अंतर्गत, पूर्व चैंपियन एथलीटों (पीसीए) को खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) में युवा एथलीटों के लिए कोच/मेंटर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो इन एथलीटों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ केआईसी को स्वायत्त तरीके या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खेल विभाग के समर्थन से चलाते हैं।

II. टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के अंतर्गत, सरकार भारत के शीर्ष एथलीटों को ओलंपिक और पैरालिंपिक खेलों की तैयारी के लिए सहायता प्रदान करती है। चयनित एथलीटों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) से अनुकूलित प्रशिक्षण और अन्य सहायता के लिए वित्त पोषण से सहायता प्रदान की

जाती है जो मंत्रालय की सामान्य स्कीमों के अंर्तगत उपलब्ध नहीं है। कोर ग्रुप एथलीटों को 50,000 रुपये प्रति माह की दर से आउट ऑफ पॉकेट भत्ते (ओपीए) का भुगतान किया जाता है। ओपीए के अलावा, खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण योजना, जिस पर मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) द्वारा विचार किया जाता है और अनुमोदित किया जाता है, का कुल व्यय टीओपीएस के अंतर्गत पूरा किया जाता है।

III. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एएनएसएफ) को सहायता स्कीम के अंतर्गत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रतिभागिता, राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन, विदेशी कोचों/सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता आदि के लिए सभी अपेक्षित सहायता शामिल है।

IV. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्ल्यूएफएस) स्कीम के अंतर्गत सरकार बदहाल परिस्थितियों में रहने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल उपकरणों की खरीद, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रतिभागिता आदि के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (2.50 लाख रुपये तक) प्रदान करती है।

V. सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए वार्षिकी के माध्यम से सुनिश्चित मासिक आय प्रदान करने के उद्देश्य से मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन स्कीम के माध्यम से सक्रिय खेलों से उनकी सन्यास के बाद खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मौजूदा स्कीम के अंतर्गत पात्र पूर्व-खिलाड़ियों को 12,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

VI. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने तथा युवा पीढ़ी को खेलों को अपनाने के लिए आकर्षित करने हेतु प्रेरक रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 20,000/- से 75,00,000/- रुपये तक का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

VII. उपरोक्त स्कीमों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले एथलीटों/खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए, सरकार हर साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार जैसी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी प्रदान करती है।

(घ) इस मंत्रालय में सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसी कोई पहल नहीं की गई है।

*****